सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 116/2015 अपील (RCMS/2018/00057)
पंजीयन दिनांक — 31.08.2015
निर्णय दिनांक — 30.10.2018

1. श्री रतनलाल पिता माधु जाट, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री गणेश पिता माधु जाट, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री गोगा पिता माधु जाट, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
4. सोसर बेवा पिता माधु जाट, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्री मथुरा पिता हीरालाल जाट, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्री मिठूलाल पिता हीरालाल जाट, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
7. श्री रामा पिता धुला जाट, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्टस्

बनाम

समस्त ग्राम वासियान पिपलिया कला तहसील गंगरार जरिये प्रतिनिधि—

1. श्री रामा मृतक के बजाय

1/1. श्री नारायण पिता रामा जाट, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

1/2. मांगी पुत्री रामा जाट, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

2. श्री हेमा पिता कजोड़ बुलाई मृतक के बजायः–

2/1. श्री रतनलाल पिता हेमाबलाई, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

2/2. श्री कन्हैयालाल पिता हेमाबलाई, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

2/3. गुलाबी बेवा हेमाबलाई पति बालूजी सालवी, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

2/4. डाली पुत्री हेमाबलाई पति बालूजी सालवी, निवासी जवासिया, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

2/5. भगवानी पुत्री हेमाबलाई पति भेरूलाल सालवी, निवासी संग्रामपुरा, तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।

3. श्री कालु पिता गोपी जाट, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

4. श्री देवजी पिता अमरचन्द जाट, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

5. श्री प्रभु पिता हरलाल जाट, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

6. श्री डालू पिता हरलाल जाट, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

7. श्री रामलाल पिता दलीचन्द जाट, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

8. श्री उदयलाल पिता मोतीलाल जाट, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

9. श्री नारायण पिता नन्दा जाट, निवासी पिपलिया कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

10. राज सरकार जरिये कलक्टर, चित्तौड़गढ़।

11. राज सरकार जरिये तहसीलदार, गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

– **रेस्पोडेन्टस्**

उपस्थितिः–

1. श्री भगवान लाल पालीवाल – वकील अपीलान्ट
2. श्री के.एल.श्रीमाली व संदीप श्रीमाली – वकील रेस्पोडेंट 1 से 9

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़, प्रकरण संख्या 32/2012 दिनांक 29.07.2015

निर्णय

दिनांक 30.10.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, गंगरार जिला चित्तौड़गढ़, प्रकरण संख्या 32/2012 दिनांक 29.07.2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स ग्रामवासीयान की ओर से न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 63 एवं 64 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत विरूद्ध अपीलान्टस् के इस आशय से पेश किया कि गॉव पिपलयाकला तहसील गंगरार में सार्वजनिक उपयोग उपभोग की साबिक सेटलमेंट आ.न. 53/5क रकबा 1 बिस्वा, 53/7 रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा, 53/10 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, 54 रकबा 13 बिस्वा, 53/2क रकबा 10 बिस्वा, 60/2 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा किता 6 रकबा 22 बीघा है। आराजी नम्बर 53 रकबा 44 बीघा 16 बिस्वा बिलानाम ठिकाना बेदला मेवाड़ में थी। इसी प्रकार आराजी नम्बर 54 रकबा 13 बिस्वा ठिकाना बेदला मेवाड़ में बिलानाम नाडी होकर इसके हाल नम्बर 388 रकबा 0.28 हेक्टेयर है। जो रेवेन्यु रेकार्ड में आज भी बिलानाम काबिल है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 60 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भू–कदीम बिलानाम इस जमीन में एक मकान धुला पिता खुराज जाट हाल आ.न. 389 रकबा 0.92 हेक्टेयर है। आ. नम्बर 53/7 हाल आराजी नम्बर 396/669/3906 रकबा 0.96 हेक्टयर और जो 0.66 हेक्टेयर बंजड़ एवं 0.25 हेक्टयर नाडा व 0.05 हेक्टयर पाल है। हाल सेटलमेंट नम्बर की आ. नम्बर 389 रकबा 0.92 हेक्टयर जो बंजड रास्ता व रेचा है। यह जमीन रतन, गणेश, सोसर, मथुरा, मिठु के नाम गलत अंकन है। इसी प्रकार आ.न. 396/669/3906 रकबा 0.96 हेक्टयर है जो 0.66 हेक्टयर बंजड एवं 0.24 नोडा व 0. 05 पाल है। आ.न. 391 रकबा 3.10 हेक्टयर में से 2.66 हेक्टयर बंजड़, 0.02 हेक्टयर पर जमीन गैर मुतकिल रोडी रकबा 0.35 हेक्टयर व 0.07 हेक्टयर भूमि पर रास्ता है और यह जमीन भी रतन, गणेश, गोगा, सोसर के नाम 1/3 मथुरा, मिठु के नाम 1/3

व रामा के नाम 1/3 पर गलत दर्ज है। ठिकाना बेदला से लगायत वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड तक उक्त जमीन ग्रामवासीयान पिपल्या कला प.ह. लालास के सार्वजनिक उपयोग उपभोग की है। इस पर मौके की स्थिति व रेवेन्यु रेकार्ड अनुसार इस जमीन की जमाबन्दी खतौनी ग्राम पिपल्याकला से उक्त विपक्षीगण धारा 63, 64 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत रतन, गणेश, गोगा, मथुरा, मिठु, रामा का नाम हटाया जाना अति आवश्यक है।

उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा स्वीकार कर निर्णय दिनांक 05.08.2011 पारित किया गया और आदेशित किया कि ग्राम पिपलया कला में स्थित नवीन आराजी नम्बर 392 रकबा 3.10 हेक्टयर, आ.न. 389 रकबा 0.92 हेक्टयर, आ.न. 396/669 रकबा 0.96 हेक्टयर कुल किता 3 रकबा 4.98 हेक्टयर भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने से विपक्षीगण/अन्य खातेदारान के नाम हटाये जाकर अन्तर्गत धारा 63, 64 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत बिलानाम सरकार के खाते के अंकित किया जावें।

उक्त निर्णय दिनांक 05.08.2011 के विरूद्ध अपीलान्टस् द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष अपील संख्या 117/2011/टीए प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 12.10.2011 से आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, गंगरार दिनांक 05.08.2011 अपास्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि तहसीलदार, गंगरार साबिक व हाल रेकार्ड व कब्जे के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र पेश करें, जिस पर उभय पक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर दुबारा निर्णय पारित करें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के उक्त निर्णय की दिनांक 12.10.2011 अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.ले.रे.ए. 1956 के तहत प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार स्वीकार निर्णय दिनांक 29.07.2015 पारित आदेश दिया कि ग्राम पिपलया कला पटवार हल्का लालास में स्थित नवीन आराजी नम्बर 392 रकबा 3.10 हेक्टयर, आ.न. 389 रकबा 0.92 हेक्टयर, आ.न. 396/669 रकबा 0.96 हेक्टयर कुल किता 3 रकबा 4.98 हेक्टयर भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने से विपक्षीगण/अन्य खातेदारान के नाम हटाये जाकर अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत बिलानाम सरकार के खाते के अंकित किया जावें।

उक्त निर्णय दिनांक 29.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या–1 से 9 उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 08.10.2018 को सूनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति के एवं बिना सूचना दिये ही अचानक येनकेन प्रकारेणं प्रकरण को निस्तारित करने की गर्ज से दिनांक 29.07.2015 को कोर्ट/लोक अदालत में पेश कराकर आर्डर शीट में पेरोकार सरकार की उपस्थिति अंकित करके एक तरफा बहस सुनी जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किये जाने का आदेश दिया गया जबकि पूर्व की आदेशिका दिनांक 30.06.2015 में लिखा गया कि:– पत्रावली मुकाम लालास पर आयोजित राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्ट में पेश हुई। पक्षकारान के मध्य समझाईस के बाद भी राजीनामा/सहमति नहीं हुई। अतः प्रकरण पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29.07.2015 को न्यायालय में पेश हो। इसके बावजुद भी उक्त दिनांक को मनमाने तौर पर पत्रावली लोक अदालत के नाम से फैसल कर दी गई जिसे लोक अदालत का निर्णय नहीं कहा जा सकता है अधिवक्ताओं की उपस्थिति भी गलत लिखी गई है जबकि कोई मौजूद नहीं थे। धारा 136 राज.भू. राजस्व अधिनियम की सीमा सीमित है। ग्रामवासीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 की परिधि में नहीं आता है। उक्त धारा का उपस्थापन की जाकर दिनांक 22.11.1995 से प्रभाव में आई है, जिसके अनुसार इसका सीमित दायरा हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकार से बाहर जाकर धारा 136 के तहत प्रश्नगत आराजीयात के रेकर्डेड खातेदारों/अपीलान्टस् के नाम हटाये जाकर बिलानाम सरकार के नाम करने को जो आदेश दिया गया वो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। धारा 136 राज.भू. राजस्व अधिनियम के तहत केवल मात्र लिपिकीय अशुद्धि और ऐसी अशुद्धि जिससे पक्षकारान सहमत हो, ही जा सकती है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई विचार नहीं कर जो आदेश पारित किया वो काबिल निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंटस् की ओर से धारा 63, 64 राज.टि.एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयत पर कुछ लोग ने एक नियमित वाद बाबत हुक्म इम्तनाई दवाल (धारा 188 राज. टि. एक्ट) सन् 1967 में पेश किया जो अदालत उप जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 06.01.1970 को खारिज किया गया। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 12.10.2011 में दिये गये निर्देश

कि तहसीलदार धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश करे के पश्चात ग्रामवासियों का मामलें से कोई सम्बन्ध नहीं रहा व प्रकरण से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, फिर भी अदालत ने उन्हें निर्णय में समस्त ग्रामवासियान के रूप में प्रार्थीगण दर्शाया है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.07.2015 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने बाबत अनुरोध किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंटस् ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजीयात की भूमि अपीलान्टस् अथवा इनके पिता धुला अथवा धुला के पिता खुराज के नाम न तो अलोट हुई और न ही इन्हें किसी ने दी है। पुराने सेटलमेंट से हाल सेटलमेंट में इन्द्राज करते वक्त एवं रोटेशन जमाबंदी में बिना किसी आधार के गलत तरीके से उक्त भूमि उक्त अपीलान्ट के पिता धुला जी के नाम दर्ज हो गई और बिना किसी जॉच के धुला की मृत्यु के बाद इन्तकाल उक्त अपीलान्टस् के नाम खुल गया। मिलान खसरा साबिक के हाल साबिक के हाल में भी पेरा न. 25 में स्पष्ट लिखा है कि कब्जा अपीलान्ट का नहीं है एवं ठिकाना बेदला मेवाड़ के खसरा बंदोबस्त संवत् 1985 में आराजी नम्बर 53, 60 एवं 55 बिलानाम अंकित है। इसी विवादित आराजीयात के सन् 1963 एवं 1970 में दावे हुए थे, जिसमें भेरू, हीरा, रामा व नंदु ने दावा किया जो दिनांक 27.03.1963 को खारिज किया गया। उक्त तथाकथित खातेदारान भूमि पर अपना कब्जा सिद्ध नहीं कर सके तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पुनः उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित की गई जिस पर सुनवाई उपरानत दिनांक 06.01.1970 को वादीगण का दावा खारिज किया गया, उक्त अपीलान्ट जिनके नाम खाते में दर्ज है, उनका व उनके पिता व उनके पितामह के समय से इस जमीन पर कभी कब्जा इनका नहीं रहा है। इसी आराजीयात के एक अन्य प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के प्रकरण संख्या 73/2005 माधु बनाम उदयराम में भी दिनांक 20.05.2006 को विवादित आराजीयात का पर्चा मौका रिपोर्ट बनाई गई, उस वक्त भी अपीलान्टस् का कब्जा नहीं था। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों में भी उपखण्ड अधिकारी का निर्णय बहाल रहा। अपीलान्टस् को पर्याप्त अवसर दिये जाने बाद भी जवाब दावा विलम्ब से पेश किये जाने से अमान्य किया गया। अधिनियम की धारा 63 के तहत खातेदारी अधिकारी अपीलान्ट स्वतः समाप्त हो जाते है। अपीलान्ट्स का हक प्राप्त करने की मयाद समाप्त हो चुकी है। साबिक एवं हाल सेटलमेंट, सक्षम न्यायालय के निर्णित वाद के निर्णय अनुसार, वह भूमि की किस्म प्रकृति एवं उपयोग को देखते हुए यह भूमि बिलानाम सरकार दर्ज होनी चाहिए। उक्त प्रकरण में लिपिकीय त्रुटि से भूमि बिलानाम से रोटेशन जमाबंदी में अपीलान्टस् के नाम अंकित हुई और इस त्रुटि को सुधारा जाना आवश्यक था। उक्त सभी परिस्थितियों एवं

तथ्यों के पूर्ण परिक्षण उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पिपलया कला पटवार हल्का लालास में स्थित नवीन आराजी नम्बर 392 रकबा 3.10 हेक्टयर, आ.न. 389 रकबा 0.92 हेक्टयर, आ.न. 396/669 रकबा 0.96 हेक्टयर कुल किता 3 रकबा 4.98 हेक्टयर भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने से विपक्षीगण/अन्य खातेदारान के नाम हटाये जाकर अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत बिलानाम सरकार के खाते के अंकित किये जाने का निर्णय पारित किया जो पूर्णतया विधि सम्मत है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंटस् ने अपील अपीलान्ट अस्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.07.2015 को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेखों का गहनता से अध्ययन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा उनके कथन में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति के एवं बिना सूचना दिये ही कोर्ट/लोक अदालत में पेश कर दिनांक 29.07.2015 को एक तरफा बहस सुनी जाकर विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय दिनांक 29.07.2015 को पारित किया। वकील अपीलान्ट द्वारा धारा 136 भू–राजस्व अधीनयम में प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट कर सवंत् 2012 से भी पूर्व के चले आ रहे खातेदारी को समाप्त कर बिलानाम सरकार के नाम करने के आदेश को विधि विरूद्ध बताया है। उपरोक्त वर्णित अधिवक्ताओं की बहस में उनके द्वारा विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों के वाद/प्रकरणों की स्थिति एवं निर्णयों से अवगत कराया गया और अपने कथनों के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत किये जो अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली पर भी उपलब्ध है, जिनका विश्लेषण किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक 29.07.2015 पारित किये जाने दौरान उपरोक्त तथ्यों एवं प्रकरण की पृष्ठ भूमि पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। न ही पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेजों का परिक्षण किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में हम समस्त पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, गंगरार का निर्णय दिनांक 29.07.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, गंगरार को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सुनवाई का

अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण करते हुए नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर